

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग -2, खंड-3, उप-खंड (ii) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग)

नई दिल्ली, 27 अक्टूबर, 2017

आदेश

का.आ. .... (अ.)- केन्द्रीय सरकार, चीनी (नियंत्रण) आदेश, 1966 के खंड 5 के साथ पठित आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के आदेश का.आ. 3348 (अ) तारीख 28 अक्टूबर, 2016 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात:-

उक्त अधिसूचना के खंड 2 में "28 अक्टूबर, 2017" अंक, अक्षर और शब्दों के स्थान पर "31 दिसम्बर, 2017" अंक, अक्षर और शब्द रखे जाएंगे।

[फा. सं. 1[6]/2016-एसपी-1]

(जी. एस. साह)

निदेशक (शर्करा नीति)

टिप्पण : मूल आदेश भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग -2, खंड-3, उप-खंड (ii) में तारीख 28 अक्टूबर, 2016 का.आ. 3348 (अ.) द्वारा प्रकाशित किया गया था तथा उसमें अधिसूचना सं. 1346 (अ) तारीख 28 अप्रैल, 2017 द्वारा और संशोधन किया गया था।